



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AB 604865

पह जनरल ५२४ रुपाली भावांग दिल्ली समिति  
दस रुपये का बल्पन  
जिला समिति नं. ५२५४९८  
के साथ सल्ला है।  
समिति




  
प्रबन्धक / सचिव  
राजवीरसिंह सिक्खरार शिक्षा समिति  
इलाहाबाद (मध्यप्रदेश)

प्रबन्धक / सचिव  
आम एक एक० एक० कॉलेज  
लड्डू, बलदेव (मध्यप्रदेश)

प्रबन्धक / सचिव

29.9.2011

  
प्रबन्धक / सचिव  
राजवीरसिंह सिक्खरार शिक्षा समिति  
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

**राजवीर सिंह सिक्खवार शिक्षा समिति,  
ग्राम सैदपुर, पो० बल्देव जिला मथुरा  
प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची वर्ष-2021-22**

क्र० सं०	नाम	पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-	श्री अनिल कुमार	श्री मुन्नालाल	गढ़: अकबर, मढ़ौरा, बल्देव मथुरा	अध्यक्ष	मजदूरी
2-	श्री गगन बाबू जैन	श्री कपूरचन्द्र जैन	27 पीपल टोला, सकीट एटा	उपाध्यक्ष	स०सेवा
3-	श्री श्रीनिवास	श्री नथी सिंह	गांव दौलतपुर, पो० दौलतपुर, तहो महावन, छाता, मथुरा	प्रबन्धक	स०सेवा
4-	श्री अंशुल जैन	श्री अनुज जैन	27 पीपल टोला, सकीट एटा	उपप्रबन्धक	स०सेवा
5--	श्रीमती प्रमिला जैन	श्री दयाचन्द्र जैन	29 पीपल टोला, सकीट एटा	कोषाध्यक्ष	गृहकार्य
6-	श्री अखिल जैन	श्री दीपक जैन	44 पीपल टोला, सकीट एटा	सदस्य	स०सेवा
7-	कु० प्राची जैन	श्री अजन्त विजय	44 पीपल टोला, सकीट एटा	सदस्य	गृहकार्य
8-	श्रीमती रीना जैन	श्री राजेश कुमार	43 पीपल टोला, सकीट एटा	सदस्य	गृहकार्य
9-	श्री राजेश कुमार जैन	श्री नेमचन्द्र	43 पीपल टोला, सकीट एटा	सदस्य	स०सेवा
10-	श्री गौरव जैन	श्री सुभाष जैन	सिटी स्कूल के सामने, जामा मस्जिद रोड, भरतपुर	सदस्य	स०सेवा
11-	श्री दयाचन्द्र जैन	श्री बांकेलाल	17 पीपल टोला, सकीट एटा	सदस्य	स०सेवा

श्रीना

सत्येन्द्र लेन

अनिल कुमार

सत्येन्द्र प्रतिलिपि

कार्यालय उप नियंत्रण विभाग सेवाओं के एवं विद्युत  
अभियान के बाहरी विभाग

श्रीनिवास

20-3-2021

सुतिपत्र

राजवीर सिंह सिकरवार शिक्षा समिति ।  
ग्रा० सैदपुर पो० बल्देव जिला मथुरा ।—  
समस्त उ०प्र० होंगा ।

- १—संस्था का नाम— राजवोर सिंह सिक्खार शिक्षा समिति ।

२—संस्था का पता— ग्रा० सैदपुर पो० बल्देव जिला मधुरा ।

३—संस्था का कार्यक्षेत्र— समस्त उ०प्र० होंगा ।

४—संस्था के उद्देश्य—

  - १— शिक्षा का प्रचार य प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह—जगह विद्यालयों, मदरसों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र—छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।
  - २— शिक्षा विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिप्रो कालेज, पी०जी० कालेज की स्थापना करना तथा निशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी, व्यवसायिक, औद्योगिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक—युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।
  - ३— निर्धन, अनाथ अपंग अनुसूचित जाति जन जाति बच्चों को निशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ा स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना । एवं शैक्षिक व खेल प्रतिभा की प्रतियोगिताओं का आयोजित करना ।
  - ४— शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना तथा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. शिक्षा पद्धति के शिक्षण संस्थानों रथापना कर उनका विधिवत प्रबन्धन संचालन करना ।
  - ५— युवक—युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनके बच्चों लिये निशुल्क शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना बच्चों की सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीड़ाकेन्द्रों, व्यायामशाला आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना तथा निर्धन अनाथ अपंग बच्चों, मेधावी बच्चों को छावृत्तियों दिलाना ।
  - ६— नागरिकों के स्वागतिक विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्रों एवं मूलिन बसितियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम बाल टीकाकरण कार्यक्रमों, गर्भवती महिलाओं का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं सम्युक्त समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना न नागरिकों में सामाजिक जन चेतनानिवारण गृहन करना एवं विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स, कैंसर, हैमिटोइडिस बी.आदि जानुलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अकुश्य लगाने का भर्सक प्रयास करना एवं मध्यनिषेध कार्यक्रमों को व्यापक रूप पर चलाना ।
  - ७— समय—समय पर जाइकृतिक कार्यक्रमों एवं जीवरूपता शिविरों, निशुल्क स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र रक्षा क्रियों, विचार गोष्ठियों राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा बाल श्रम, उच्चालन, कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना ।
  - ८—

आपूर्ति एवं एक्षुल कथित है कि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाणपत्रों को न प्रदान सत्य प्रतिक्रिया किया जायेगा और नहीं ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेगे।

CA. 868


८४ चित्रधन  
सं सोसाइटीज एवं चिट्रधन

*Ramveer Singh*  
प्रबन्धक / सचिव  
राजपीड़िसिंह सिंहरवार शिला समिति  
सैलमुर (लखनऊ) (मध्यप्रदेश)

~~477321~~

५-प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है-

क्रम संख्या	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-श्री श्यामलाल	पुत्रश्री ठोटेलाल	ग्राम बरोली पोल बलदेव जिला मथुरा	अध्यक्ष	कृषि
2-श्री नेत्रपाल	पुत्रश्री देवीराम	ग्राम खंडपुर पोल बलदेव जिला मथुरा	उपाध्यक्ष	कृषि
3-श्री हरेन्द्र कुमार	पुत्रश्री राजवीर सिंह	ग्राम सैदपुर पोल बलदेव जिला मथुरा	प्रबन्धक	व्यापार
4-श्री रामवीर सिंह	पुत्रश्री निरपत सिंह	ग्राम सैदपुर पोल बलदेव जिला मथुरा	उपप्रबन्धक	कृषि
5-श्री रमेश	पुत्रश्री मल्ल सिंह	ग्राम सैदपुर पोल बलदेव जिला मथुरा	कोषाध्यक्ष	नौकरी
6-श्री पवन	पुत्रश्री आर० एस० सिंह	ग्राम व पोल कासिमपुर जिला मथुरा	सदस्य	समाजसेवा
7-श्री राजकुमार	पुत्रश्री आर० वी० सिंह	ग्राम सैदपुर पोल बलदेव जिला मथुरा	सदस्य	समाजसेवा
8-श्री सुन्दर सिंह	पुत्रश्री हरीसिंह	ग्राम सैदपुर पोल बलदेव जिला मथुरा	सदस्य	समाजसेवा
9-श्री प्रमोद कुमार	पुत्रश्री विजेन्द्र सिंह	ग्राम व पोल कासिमपुर जिला मथुरा	सदस्य	समाजसेवा
10-श्रीमती मिथलेश	पुत्रश्री मिठठन सिंह	ग्राम व पोल रारह जिला भरतपुर राजस्थान	सदस्य	गृहणी
11-कमलेश	पुत्रीश्री मोहन सिंह	ग्राम पाली पोल सोंख जिला मथुरा	सदस्य	गृहणी
12-श्रीमती रानी	पत्नीश्री राजबाबू	ग्राम व पोल खुशीपुरा जिला मथुरा	सदस्य	गृहणी
13-श्रीमती प्रेमलता	पत्नीश्री विनोद कुमार	ग्राम व पोल वैना जिला अलीगढ़	सदस्य	गृहणी
14-श्री रामवीर सिंह	पुत्रश्री हरिप्रिसाद	ग्राम नगला डोम पोल बलदेव जिला मथुरा	सदस्य	व्यापार
15-श्री नरेश कुमार	पुत्रश्री रामवीर सिंह	ग्राम सैदपुर पोल बलदेव जिला मथुरा	नौकरी	



६-हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते हैं कि उक्त सूति-पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी दिनांक-०१-९-२०११

प्रबन्धक / सचिव  
एस० एस० कॉलेट  
सैदपुर, बलदेव (राजस्थान)

सत्य प्रतिशिष्ठि

ज्ञान प्रियधर्म  
संस्था बोर्ड इटान एवं चिट्ठा

रामान विवाह  
आपारा झंडा, आपारा

कॉलेट

२५८०२०११

Ramdev

प्रबन्धक / सचिव

राजवीरसिंह सिकरवार शिला समिति

सैदपुर बलदेव (राजस्थान)

प्रबन्धक / सचिव

राम वी. एस. एस. कॉलेट

मोटा

SA: A/B R. K. Vasistha  
OCT. 2011

NOTARY

प्रबन्धक / सचिव  
राजवीरसिंह सिकरवार शिला समिति

सैदपुर बलदेव (राजस्थान)

प्रबन्धक / सचिव

### नियमावली

1—संस्था का नाम—

2—संस्था का पता—

3—संस्था का कार्यक्षेत्र—

4—संस्था के उद्देश्य—

5—संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के बर्जे—

राजीवर सिंह सिक्करवार शिक्षा समिति

ग्रा० सैदपुर पो० बल्देव जिला मधुरा।

समस्त उ०प्र० होगा।

स्मृति—पत्र में दिये गये उद्देश्यों के अनुसार ही रहेगें।

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देनेपर ही इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे। जो निम्न वर्ग के होंगे—

संरक्षक सदस्य—जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1000/-रु० सदस्यता शुल्क के रूप में निर्खार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेंगे।

आजीवन सदस्य—जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/-रु० सदस्यता शुल्क के रूप में निर्खार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

सामान्य सदस्य—जो सज्जन इस संस्था को 250/-रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

विशिष्ट सदस्य—ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होंगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से भुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा।

6—सदस्यता की समाप्ति—1—सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर।

2—आचरण ध्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर।

3—किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर।

4—सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।

5—संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपरिधि रहने पर।

6—किसी सदस्य के विलङ्घ 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्तोत्र पासित होने पर।

7—सदस्य द्वारा त्याग—पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत हात पूल सदस्य की सदस्यता स्वतः ही सम्प्राप्त मानी जावेगी।

आइ टॉ एस्टी एस्टी अमेरिका (अ) साधारण सभा। (ब) प्रवन्धकारिणी समिति।

रैडियो सम्प्रसारण (सभापति) (अ) गठन—साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा।

(ब) बैठकें—साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सत्य प्रसिद्धि (सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को कभी से जिक्र भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी।

क्रम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी अनिवार्य भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी।

जम्मे सात बैठक एवं (स्थिराणपूर्ति—गणपूर्ति) के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों के बाहर शाम्ल आनुपरिधि का कोरम होगा।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि—संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन, संतिवर्ष होगा। जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी।

इगम द्वारा

रो २१

२०१०

प्रबन्धक सचिव

राजीवर सिंह सिक्करवार शिक्षा समिति  
सैदपुर, बल्देव (मधुरा)

२१-११

## (र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य-

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय-समय पर चुनाव सम्पन्न करना ।
- 2- नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।
- 3- वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत / अस्वीकृत करना ।

## 9-प्रबन्धकारिणी समिति-

(अ) गठन-प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से बहुमत से 07 सदस्यों को चुनकर किया जावेगा, प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

कार्यकारिणी समिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकता नुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 21 होगी।

(ब) बैठकें-प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता नुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना-अवधि-प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी।

(द) गणपूर्ति-गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी।

## (र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य-

- 1- संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।
- 2- नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत करना ।

3- वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4- संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटीविल कार्यों पर व्यय करना ।

5- संस्था के विकास हेतु जगह-जगह प्रदेश, मण्डल व ज़िला स्तरों पर अपने शाखा कार्यालय स्थापित कर उनका संचालन करेगी। ऐसी शाखाओं के लिये उपसमितियों गठन व उनकी सेवा शर्त के नियम निर्धारित करना तथा कार्य पूर्ण होने व दोष पूर्ण कार्य करने पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उप कार्यकारिणी बनाना तथा उनके कोष पर पूर्ण नियंत्रण रखना क्षेत्रीय स्तर पर उपर्याकारीयों/उपसमितियों द्वारा कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन करना/कराना ।

(ल) कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।

आइ टॉली फॉर्म्यूला कॉर्पोरेशन संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।

2- मीटिंग बुलाना व रिपोर्ट करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अद्दना

## संस्था प्रतिलिपि

3- संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना, संस्था की आम देखभाल करना ।

प्रबन्धक एवं विद्युत

प्रबन्धक विद्युत

प्रबन्धक विद्युत

प्रबन्धक विद्युत

प्रबन्धक सचिव

प्रबन्धक विद्युत

प्रबन्धक विद्युत

प्रबन्धक विद्युत

प्रबन्धक विद्युत

उपाध्यक्ष—

प्रधान्धक —

- - - 3 - -

अध्यक्ष की अनुपरिथिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य एवं सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना।

1-संरथा की ओर से समर्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।

2-संरथा के अन्तर्गत संचालित संस्थानों व शिक्षण, संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निस्काशन पदोन्नति एवं पदव्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तथ करना व उसका भूगतान करना ।

3-संरथा के समर्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राप्टों बन्धक विलेखों विल-बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

4-संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व  
सदस्याशुल्क प्राप्त कर सदस्य बनाना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।  
5-कल्याणकारी कार्यक्रमों से लिये उपयोग करना ।

5-कल्याणकारा कायकमा के लिये परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत के लिये भेजना ।

6-संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

७-संरथा की ओर से समर्पण प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदर्थों तक पहुंचाना, गीटिंग कार्यवाही लिखना।

8-संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना।  
9-संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय-व्यय बड़ी प्रक्रिया के

१०—संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दाता अनुदान चंदा आदि

प्राप्त करना। प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य एवं सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना।

1-संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय-व्यय बही पत्रों को दर्ताया करना।

२-स्वस्था के कोष को संस्था के खात में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना।

3- प्रवृत्तिक द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व विल बाऊचरों का भुगतान करना।  
संस्था सूखे मियमें विनियम में संशोधन प्रक्रिया-

संस्था के नियमों विनियमों में सशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसाइटीजीडी की संगत धरात के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना। एवं लेखा व्यवस्था-संस्था का कोष किसी भी बैंक या पोस्ट अफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जाना।

अध्यक्ष, प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष मे से किन्हों दो के हस्ताक्षर से होगा। जिसका सचालन संस्था के परीक्षण(आडिट)-संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जावेगा।

14-संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व-  
इच्छक/सचिव संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के

१६-सत्था बक्से अभिलेखः—१-सदस्यात् रजिस्टर २- कर्यवाही उन्नित्वा ३- ऐसा ही

4-निरीक्षण रजिस्टर आदि 13-केशबुक रसीद बुक,एजेण्डा रजिस्टर  
17-संस्था का विघटन-संस्था का विघटन और विस्तृत

रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

दिनांक - 10-9-2011

रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

सत्यप्रतिलिपि

## रथाम ताम

22

३५ शिवदास

पास दोषात्मक

प्रबन्धक / संधिय

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

RAJIVR SINGH SIKARWAR SHIKSHA  
SAMITI



27/09/2011  
Permanent Account Number  
AACAR4112K

12082015

इस कार्ड के खोने/पाने पर कृपया सूचित करें/लोटाएँ:  
आयकर पैन सेवा इकाई, पम एस टी एन  
5 वी मंत्रिल, मन्त्री स्टर्लिंग,  
प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,  
मोडल कॉलोनी, दोप बगला चौक के पास,  
पुणे - 411 016.

If this card is lost / someone's lost card is found,  
please inform / return to :

Income Tax PAN Services Unit, NSDL  
5th Floor, Mantri Sterling,  
Plot No. 341, Survey No. 997/8,  
Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk,  
Pune - 411 016.

Tel: 91-20-2721 8080, Fax: 91-20-2721 8081  
e-mail: tininfo@nsdl.com